# मानसिक अस्वस्थता के लिए उपचार किए जा रहे किसी व्यक्ति को अस्पताल के अंत:रोगी के रूप में रोकने की नर्सों की शक्ति

(मानसिक स्वास्थ्य कानून 1983 का अनुच्छेद 5(4))

| | |
|---|---|
| **1.** रोगी का नाम | |
| **2.** आपके उपचार के लिए प्रभारी व्यक्ति का नाम | |
| **3.** आपको यहां रख रही/रहे नर्स का नाम | |

## मैं इस अस्पताल को छोड़कर क्यों नहीं जा सकता?

आपको इस अस्पताल में मानसिक स्वास्थ्य कानून 1983 के अनुच्छेद 5(4) के तहत रखा जा रहा है। यह ऐसी कानूनी शक्ति है जो एक नर्स को आपको उस समय तक रोके रखने की अनुमति देती है जब तक कि आपके उपचार के प्रभारी व्यक्ति, या उनके डेप्युटी द्वारा आपकी जांच न कर ली जाए। नर्स का मानना है कि आप मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं और अस्पताल छोड़कर जाने लायक स्वस्थ नहीं हैं।

"डेप्युटी" का अर्थ एक ऐसा व्यक्ति है जो आपके उपचार के प्रभारी व्यक्ति के किसी अन्य स्थान पर होने की स्थिति में फैसले ले सकता है।

## मुझे यहां कब तक रखा जाएगा?

आपको इस अस्पताल में छः घंटों तक या उस समय तक रहना होगा जब तक कि आपके उपचार का प्रभारी व्यक्ति या उनके डेप्युटी आपको जाने को न कह दें। यदि आप जाने की कोशिश करते हैं तो स्टाफ आपको रोक सकता है, और अगर आप चले जाते हैं तो आपको वापस लाया जा सकता है।

आपके मामले में छः घंटे पूरे होने की तिथि और समय :

| तिथि | समय |
|---|---|
| | |

यदि आपके उपचार के प्रभारी व्यक्ति या उनके डेप्युटी ने इस समय तक आपकी जांच नहीं की है, तो आप अस्पताल छोड़कर जाने के लिए स्वतंत्र होंगे। लेकिन अगर आप जाने का फैसला करते हैं, तो कृपया पहले किसी नर्स या स्टाफ के किसी सदस्य से बात करें।

## मुझे यहां रखे जाने पर मेरे साथ क्या होगा?

अस्पताल का स्टाफ ऐसे किसी उपचार के बारे में आपको बताएगा जिसे वे आपके लिए ज़रूरी समझते हैं। यदि आप यह उपचार नहीं कराना चाहते तो आपको इससे इंकार करने का अधिकार है। सिर्फ विशेष परिस्थितियों में ही, जिनके बारे में आपको बता दिया जाएगा, आपको ऐसा उपचार दिया जा सकता है जिसके लिए आप सहमत न हों।

## इसके बाद क्या होगा?

आपके उपचार के प्रभारी व्यक्ति, या उनके डेप्युटी यह फैसला कर सकते हैं कि आपको अधिक समय तक अस्पताल में रहने की ज़रूरत है। आप स्वैच्छिक रूप से रहने का फैसला कर सकते हैं।

यदि आप फिर भी अस्पताल में नहीं रहना चाहते, और आपकी देखभाल का प्रभारी व्यक्ति, या उनके डेप्युटी, का मानना है कि अस्पताल छोड़कर जाने के लिहाज से आप बहुत बीमार हैं, तो वे आपको मानसिक स्वास्थ्य कानून के किसी अन्य अनुच्छेद के तहत यहां रख सकते हैं। वे आपको बताएंगे कि ऐसा क्यों है और आपको कब तक यहां रहना होगा, और अब क्या होगा यह जानने के लिए आपको एक अन्य पुस्तिका दी जाएगी।

यदि आपके उपचार का प्रभारी व्यक्ति, या उनके डेप्युटी यह फैसला करते हैं कि आपको अस्पताल में रहने की ज़रूरत नहीं है, तो वे या स्टाफ के कोई अन्य सदस्य आपसे इस बारे में बात करेंगे कि आपको अन्य किस सहायता की ज़रूरत होगी।

## क्या मैं अपील कर सकता हूं?

नहीं। भले ही आप इस बात से सहमत न हों कि आपको अभी अस्पताल में रहने की ज़रूरत है, पर जिस अनुच्छेद 5(4) के तहत आपको यहां रखने का फैसला किया गया है आप उसके खिलाफ अपील नहीं कर सकते।

## अपने सबसे करीबी रिश्तेदार को जानें

इस पुस्तिका की एक प्रति उस व्यक्ति को दी जाएगी जिसे मानसिक स्वास्थ्य कानून आपका सबसे करीबी रिश्तेदार कहता है।

मानसिक स्वास्थ्य कानून में ऐसे लोगों की एक सूची है जिन्हें आपके रिश्तेदार समझा जाता है। सामान्यतः, उस सूची में सबसे ऊपर मौजूद व्यक्ति आपका सबसे करीबी रिश्तेदार होता है। अस्पताल का स्टाफ आपको एक पुस्तिका दे सकता है जो इस बात को विस्तारपूर्वक बताती है और यह बताती है कि आपकी देखभाल और उपचार के संबंध में आपके सबसे करीबी रिश्तेदार के क्या अधिकार हैं।

आपके मामले में, हमें यह बताया गया है कि आपका सबसे करीबी रिश्तेदार है :

| |
|---|
| |

यदि आप नहीं चाहते कि इस व्यक्ति को पुस्तिका की एक प्रति प्राप्त हो, तो कृपया अपने नर्स या स्टाफ के किसी अन्य सदस्य को बताएं।

## अपने सबसे करीबी रिश्तेदार को बदलना

यदि आपको लगता है कि यह व्यक्ति आपका सबसे करीबी रिश्तेदार होने के लिए उपयुक्त नहीं है, तो आप काउंटी कोर्ट में उसके बजाय किसी अन्य व्यक्ति को अपना सबसे करीबी रिश्तेदार बनाने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
अस्पताल का स्टाफ आपको एक पुस्तिका दे सकता है जिसमें विस्तार से यह बताया गया है।

## आपके पत्र

जब तक आप अस्पताल में हैं आपके लिए भेजे गए सभी पत्र आपको दिए जाएंगे। आप किसी भी व्यक्ति को पत्र भेज सकते हैं, लेकिन ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं जो कहे कि उन्हें आपसे पत्र नहीं चाहिए। इन लोगों के लिए लिखे जाने वाले पत्रों को अस्पताल का स्टाफ रोक देगा।

## मैं शिकायत कैसे कर सकता हूं?

यदि आप अस्पताल में अपनी देखभाल और उपचार के संबंध में कोई भी शिकायत करना चाहते हैं, तो कृपया स्टाफ के किसी सदस्य से कहें। वे संभवतः मामले का निपटारा कर सकें। वे अस्पताल की शिकायत करने की प्रक्रिया के बारे में भी आपको जानकारी दे सकते हैं, जिसका इस्तेमाल आप स्थानीय प्रशासन के ज़रिए शिकायत का समाधान निकालने में कर सकते हैं। वे आपको ऐसे किसी व्यक्ति के बारे में भी बता सकते हैं जो शिकायत करने में आपकी मदद कर सकता हो।

यदि आपको लगता है कि अस्पताल की शिकायत की प्रक्रिया आपकी मदद नहीं कर सकती, तो आप किसी स्वतंत्र कमीशन से शिकायत कर सकते हैं। कमीशन इस बात पर नजर रखता है कि मानसिक स्वास्थ्य कानून का इस्तेमाल कैसे किया गया है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि इसका इस्तेमाल सही ढंग से किया गया है और अस्पताल में रहने के दौरान रोगियों की उचित देखभाल की जाती है। अस्पताल का स्टाफ आपको एक पुस्तिका दे सकता है जिसमें कमीशन से संपर्क करने के बारे में बताया गया है।

## कार्यअभ्यास संहिता

कार्यअभ्यास संहिता अस्पताल के स्टाफ को मानसिक स्वास्थ्य कानून और मानसिक अस्वस्थता वाले लोगों का उपचार करने के बारे में सलाह देती है। आपकी देखभाल के बारे में स्टाफ द्वारा कोई भी फैसला लेने से पहले उन्हें संहिता में कही गई बातों पर विचार करना चाहिए। यदि आप चाहें, तो आप संहिता की एक प्रति देखने के लिए कह सकते हैं।

## अधिक सहायता और जानकारी

यदि अपनी देखभाल और उपचार के बारे में कोई बात आप नहीं समझ पाए हों, तो स्टाफ का एक सदस्य इसे समझने में आपकी मदद करेगा। यदि इस पुस्तिका की कोई बात आप नहीं समझ पाएं हों या यदि आपके कोई ऐसे प्रश्न हों जिनके जवाब इस पुस्तिका में नहीं दिए गए हों तो कृपया स्टाफ के किसी सदस्य से समझाने को कहें।

यदि आप किसी अन्य व्यक्ति के लिए इस पुस्तिका की एक और प्रति चाहते हों तो कृपया बताएं।